


امیرے اہلے سُنّت دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب
“550 سُنّتے اور آداب” کی اک کِسٹ

103 سُنّتے اور آداب

(سफہاً 20)



خانے کی 32 سُنّتے اور آداب 03

سیلائے رہنمی کی 13 سُنّتے اور آداب 08

پڈوسری کے بارے میں 15 سُنّتے اور آداب 11

مہماں نوازی کی 30 سُنّتے اور آداب 14

شےٰ تریکھ، امیرے اہلے سُنّت، بانیٰ دا 'بتوِ اسلامی، هجڑتے اُلّالاما مौلانا ابوبیلائل

مُحَمَّدِ إِلْيَاسِ اُخْتَارِ كَادِرِيِ رَجُلِي دامت برکاتہم العالیہ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ النُّبُوْسِ الْمُسَلِّمِينَ
أَمَّا بَعْدُ فَاعُوذُ بِاللّٰهِ وَمِنَ السَّيِّطِنِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

کیتاب پढنے کی دుआ

اج : شے تریکت، امیرے اہلے سُننات، بانیے دا' وہے اسلامی، هجڑتے اعلیٰ امام مولانا
ابو بکر بن عبد الله بن عباس اعلیٰ رحمۃ الرّحمن الرّحیم

دینی کتاب یا اسلامی سبک پढنے سے پہلے نیچے دی ہوئی دుਆ پढ لیجیے
جو کुछ پढنے گے یاد رہے گا । دుਆ یہ ہے :

اللَّهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَلُذْشُرْ
عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

ترجمہ : اے اعلیٰ اہل حکمت ! ہم پر ایک علم کو دے دیجیں جو ہم پر اپنی
رہنمائی کرے گا । اے اعلیٰ اہل حکمت ! اے اعلیٰ اہل حکمت ! (ستھن طرف ج ۱ ص ۴۰ دار الفکر بیرون)

نوت : ابھل آخیزیر اک اک بار دوڑد شاریف پढ لیجیے ।

تالیبے گمے مداری
و بکاری
و ماری فکر
13 شعبان مل مکار 1428ھ.



نامہ رسالہ : 103 سُننَتِهِ وَآدَابُهِ

سینے تباہ اُت : ربیعہ اول 1445ھ، نومبر 2023ء

تا'داد : 000

ناشر : مکتبہ مداری

مدنی ایلٹیجا : کسی اور کو یہ رسالہ ٹھاپنے کی اجازت نہیں ہے ।

ट्रान्सलेशन डिपार्टमेन्ट (दा'वते इस्लामी इन्डिया)

ये ह रिसाला “103 सुन्तें और आदाब”

शैखे तरीक़त, अमीरे अहले सुन्त, बानिये दा'वते इस्लामी हज़रत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मुहम्मद इल्यास अंजार क़ादिरी रज़वी رَجُلُّ الْعَالِيَّةِ ने उर्दू ज़बान में तहरीर फ़रमाया है।

ट्रान्सलेशन डिपार्टमेन्ट (दा'वते इस्लामी इन्डिया) ने इस रिसाले को हिन्दी रस्मुल ख़त में तरतीब दे कर पेश किया है और मक्तबतुल मदीना से शाएँ करवाया है। इस में अगर किसी जगह कमी बेशी पाएं तो ट्रान्सलेशन डिपार्टमेन्ट को (ब ज़रीए मक्तूब, ई मेल या SMS) मुत्तलअ़ फ़रमा कर सवाब कमाइये।

राबिता : ट्रान्सलेशन डिपार्टमेन्ट (दा'वते इस्लामी इन्डिया)

मक्तबतुल मदीना, सिलेक्टेड हाउस, अलिफ़ की मस्जिद के सामने,
तीन दरवाज़ा, अहमदआबाद-1, गुजरात।

MO. 98987 32611 • E-mail : hind.printing92@gmail.com

क़ियामत के रोज़ हसरत

फ़रमाने मुस्तफ़ा : سب سے ج़ियादा हसरत क़ियामत के दिन उस को होगी जिसे दुन्या में इल्म हासिल करने का मौक़अ मिला मगर उस ने हासिल न किया और उस शख्स को होगी जिस ने इल्म हासिल किया और दूसरों ने तो उस से सुन कर नफ़अ उठाया लेकिन इस ने न उठाया (या'नी उस इल्म पर अमल न किया)।

(تاریخ دمشق لابن عساکر ج ۱ ص ۱۳۸ مدار الفکر بیروت)

किताब के ख़रीदार मुतवज्जे ह हों

किताब की तबाअत में नुमायां ख़राबी हो या सफ़हात कम हों या बाइंडिंग में आगे पीछे हो गए हों तो मक्तबतुल मदीना से रुजूअ़ फ़रमाइये।

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعُلَمَاءِ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتِمِ النَّبِيِّنَ ط
أَمَّا بَعْدُ فَاعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ط

ये मज़मून किताब “550 सुन्नतें और आदाब” के सफ़हा 13 ता 30 से लिया गया है।

103 सुन्नतें और आदाब

दुआए अन्तार : या रब्बल मुस्तफ़ा ! जो कोई 18 सफ़्हात का रिसाला : “103 सुनतें और आदाब” पढ़ या सुन ले उसे सुनतों का अ़मिल बना और उस की मां बाप समेत बिला हिसाब मग़िफरत फरमा दे ।

أمين بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

दुरुद शरीफ की फूजीलत

फ़रमाने आखिरी नबी ﴿مَنْ صَلَّى عَلَيَّ فِي يَوْمِ الْفَرَزَةِ﴾ : صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 या'नी जो मुझ पर एक दिन में एक हजार मरतबा दुर्स्त शरीफ पढ़ेगा वोह उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक जन्मत में अपना मकाम न देख ले ।” (اٽر غیب والتر ہیب، 2/326، حدیث: 2590)

(हदाइके बख्तिश, स. 182)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ *** صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

**“करम या रसूलल्लाह” के तेरह हुरूफ़ की निस्बत से
पानी पीने की 13 सुन्नतें और आदाब**

दो फ़रामीने मुस्तफ़ा : ﷺ ۚ ۱) ऊंट की तरह एक ही सांस में मत पियो, बल्कि दो या तीन मरतबा (सांस ले कर) पियो और पीने से कब्लٰ پढ़ो और फरागत पर **بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ** कहा करो। (1892:3/352، حديث ترمذ)

﴿2﴾ नबिय्ये करीम ﷺ ने बरतन में सांस लेने या उस में फूंकने से मन्त्र फ़रमाया है । (ابوداؤد، 474/3، حديث: 3728) हज़रते मुफ्ती अहमद यार ख़ान رحمۃ اللہ علیہ इस हडीसे पाक के तहूत फ़रमाते हैं : बरतन में सांस लेना जानवरों का काम है नीज़ सांस कभी ज़हरीली होती है इस लिये बरतन से अलग मुंह कर के सांस लो, (या'नी सांस लेते वक्त गिलास मुंह से हटा लो) गर्म दूध या चाय को फूंकों से ठन्डा न करो बल्कि कुछ ठहरो, क़दरे (या'नी कुछ) ठन्डी हो जाए फिर पियो । (मिरआतुल मनाजीह، 6/77) अलबत्ता दुरुदे पाक वगैरा पढ़ कर ब निय्यते शिफ़ा पानी पर दम करने में हरज नहीं ॥
 3
 पीने से पहले بِسْمِ اللّٰهِ پढ़ लीजिये ॥
 4
 चूस कर छोटे छोटे धूंट पियें, बड़े बड़े धूंट पीने से जिगर (Liver) की बीमारी पैदा होती है ॥
 5
 पानी तीन सांस में पियें ॥
 6
 बैठ कर और सीधे हाथ से पियें ॥
 7
 लोटे वगैरा से वुजू किया हो तो उस का बचा हुवा पानी पीना 70 मरज़ से शिफ़ा है कि येह आबे ज़मज़म शरीफ़ की मुशाबहत रखता है, इन दो (या'नी वुजू का बचा हुवा पानी और ज़मज़म शरीफ़) के इलावा कोई सा भी पानी खड़े खड़े पीना मकरूह है । (फतावा रज़िविया, 4/575, 21/669, माखूज़न) येह दोनों पानी किल्ला रू हो कर खड़े खड़े पियें ॥
 8
 पीने से पहले देख लीजिये कि पीने की शै में कोई نुक़सान देह चीज़ वगैरा तो नहीं है ॥
 9
 (اتحاف الصادق، 5/594) पी चुकने के बा'द
 10
 الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ कहिये ॥ हज़रते इमाम मुहम्मद बिन मुहम्मद बिन मुहम्मद ग़ज़ाली رحمۃ اللہ علیہ फ़रमाते हैं : بِسْمِ اللّٰهِ پढ़ कर पीना शुरूअ़ करे पहली सांस के आखिर में الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ दूसरे के बा'द और तीसरे सांस के बा'द
 (احياء العلوم، 2/8) پढ़े الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيمُ येह एक अच्छा काम है न भी किया तो हरज नहीं और शुरूअ़ में और ख़त्म بِسْمِ اللّٰهِ

पर ﷺ कहने से भी सुन्त अदा हो जाएगी **(11)** गिलास में बचे हुए मुसल्मान के साफ़ सुधरे झूटे पानी को क़ाबिले इस्ति'माल होने के बा वुजूद ख़्वाह म ख़्वाह फेंकना न चाहिये **(12)** मन्कूल है : या'नी مُنْكُلٌ سُوْرَةِ الْبُوْمِينَ شِفَاعَهُ : (الْفَتَاوِيُّ الْفَقِيْهِيُّ الْكَبِيرِ لِابْنِ حِبْرِ ابْنِ بَيْتِيٍّ، 4/117) **(13)** पी लेने के चन्द लम्हों के बा'द ख़ाली गिलास को देखेंगे तो उस की दीवारों से बह कर चन्द क़तरे पेंदे में जम्म व हो चुके होंगे उन्हें भी पी लीजिये ।

صَلُوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ ﴿١٠﴾

“गदा भी मुन्तजिर है खुल्द में नेकों की दावत का” के बत्तीस हुस्क की निस्बत से खाने की 32 सुन्तें और आदाब

(1) खाना सिर्फ़ लज्ज़त (TASTE) के लिये न खाया जाए बल्कि खाते वक़्त येह नियत कर लीजिये : “अल्लाह पाक की इबादत पर कुव्वत हासिल करने के लिये खा रहा हूं” **(2)** भूक से कम खाना चाहिये और पूरी भूक भर कर (या'नी भूक बिल्कुल बाक़ी न रहे इतना) खाना खा लेना मुबाह है या'नी न सवाब है न गुनाह, क्यूं कि इस का भी सहीह मक्सद हो सकता है कि ताक़त ज़ियादा होगी और भूक से ज़ियादा खा लेना ह्राम है । ज़ियादा का येह मतलब है कि इतना खा लेना जिस से पेट ख़राब होने का ग़ालिब गुमान है, मसलन दस्त आएंगे और त़बीअत बद मज़ा हो जाएगी । (560/9, ٩٥) इसी तरह तन्दुरुस्त आदमी का ऐसी ग़िज़ा इस्ति'माल करना गुनाह है जिस से बीमार हो जाने का गुमाने ग़ालिब हो यूं ही मरीज़ का ऐसी बद परहेज़ी करना जिस से मरज़ बढ़ जाने का ज़न्ने ग़ालिब हो, मसलन तजरिबे से साबित हो **(3)** भूक से कम खाना बे शुमार फ़्राइद का मज्मूआ है कि तक्रीबन 80 फ़ीसद बीमारियां डट कर या'नी ख़ूब पेट भर

कर खाने से होती हैं। लिहाज़ा अभी भूक बाकी हो तो हाथ रोक लीजिये

﴿4﴾ अक्सर दस्तर ख़्वान पर इबारत लिखी होती है (मसलन शे'र या कम्पनी वगैरा का नाम) ऐसे दस्तर ख़्वानों को इस्ति'माल में लाना, उन पर खाना खाना न चाहिये। (बहारे शरीअत, 3/420) ﴿5﴾ खाना खाने से पहले और बा'द दोनों हाथ पहुंचों तक धोना सुन्नत है। (337/5) ﴿6﴾ **फ़रमाने मुस्तफ़ा** ﷺ है : “खाने से पहले और बा'द में वुजू करना (या'नी पहुंचों तक दोनों हाथ धोना) रिज़क में कुशादगी करता और शैतान को दूर करता है”। (مند الفردوس, 333/2, حديث: 3501) ﴿7﴾ खाना खाने के मौक़अ़ पर जूते उतार लीजिये कि इस से क़दम आराम पाते हैं। **फ़रमाने मुस्तफ़ा** ﷺ कि ये ह तुम्हारे क़दमों के लिये राहत (या'नी आराम) का बाइस है”। (3202/256) ﴿8﴾ **खाते वक्त उलटा पाँड़ बिछा** दीजिये और सीधा घुटना खड़ा रखिये या सुरीन पर बैठ जाइये और दोनों घुटने खड़े रखिये। (बहारे शरीअत, 3/378, मुलख़्बसन) या दोनों क़दमों की पुश्त पर दो ज़ानू बैठिये। (5/2, احياء العلوم) ﴿9﴾ **इस्लामी भाई** हो या इस्लामी बहन जब खाने बैठें तो चादर या कुरते के दामन के ज़रीए पर्दे में पर्दा ज़रूर करें ﴿10﴾ सालन या चटनी की पियाली रोटी पर मत रखिये। (562/9, رد افتخار) ﴿11﴾ नंगे सर खाना अदब के ख़िलाफ़ है और इस से रोज़ी में तंगी होती है ﴿12﴾ बाएं या'नी उलटे हाथ को ज़मीन पर टेक दे कर खाना मकरूह है। (बहारे शरीअत, 3/377) ﴿13﴾ **मिट्टी** के बरतन में खाना अफ़ज़ल है कि जो अपने घर में मिट्टी के बरतन बनवाता है फ़िरिश्ते उस घर की ज़ियारत करने आते हैं। (566/9, رد افتخار) ﴿14﴾ दस्तर ख़्वान पर सब्ज़ी हो तो फ़िरिश्ते नाज़िल होते

हैं। (22/2، الحَدِيثُ الْأَعْمَلُ) (15) शुरूअ़ करने से कब्ल येह दुआ पढ़ ली जाए, अगर खाने या पीने में ज़हर भी होगा तो اسर नहीं करेगा। **بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْبِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاوَاتِ يَا قَيْوُمُ :** तरजमा : अल्लाह पाक के नाम से शुरूअ़ करता हूं जिस के नाम की बरकत से ज़मीन व आस्मान की कोई चीज़ नुक्सान नहीं पहुंचा सकती, ऐ हमेशा ज़िन्दा व क़ाइम रहने वाले। (1106/1، حَدِيثُ الْفَرْدُوسِ) (16) अगर शुरूअ़ में बिस्मल्लाह पढ़ना भूल गए तो दौराने त़आम याद आने पर इस तरह कह लीजिये : ﴿بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَآخِرُهُ عَزْلَةٌ﴾ तरजमा : “अल्लाह पाक के नाम से खाने की शुरूआत और इस का ख़त्म होना” (17) अब्बल आखिर नमक खाइये कि सुन्नत है और इस से 70 बीमारियां दूर होती हैं। (562/9، رِوَايَةُ عَلِيٍّ بْنِ ابْرَاهِيمَ) (18) सीधे हाथ से खाइये, उलटे हाथ से खाना, पीना, लेना, देना, शैतान का तरीक़ा है। अक्सर इस्लामी भाई निवाला तो सीधे हाथ से ही खाते हैं मगर जब मुंह के नीचे उलटा हाथ रखते हैं तो बा’ज़ दाने उस में गिरते हैं और वोह उलटे ही हाथ से मुंह में डाल लेते हैं, इसी तरह दस्तर ख़ान पर गिरे हुए दाने उलटे हाथ से खाते हैं, उन को चाहिये कि वोह उलटे हाथ वाले दाने सीधे हाथ में रख कर ही मुंह में डालें (19) बाएं (या’नी उलटे) हाथ में रोटी ले कर दहने (या’नी सीधे) हाथ से निवाला तोड़ना दफ्टर

1 ... जिस दुआ की फ़ज़ीलत “وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ” “بِيَلْهُجَّيِّ بِيَقِيْمِ” है, उस दुआ की फ़ज़ीलत “तिरमिज़ी” और “इब्ने माज़ह” में इस तरह है, फ़रमाने मुस्तफ़ा : जो बन्दा रोज़ाना सुब्ह व शाम 3 मरतबा येह कलिमात कहे : “بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْبِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاوَاتِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ” (ترمذी/5، حَدِيثُ ابْنِ ماجَةَ/4، حَدِيثُ 3399) (250/4، حَدِيثُ 3869)

तकब्बुर (या'नी तकब्बुर दूर होने) के लिये है। (फ़तावा रज़िविया, 21/669) तन्हा खाते हुए हाथ बढ़ा कर थाल या सालन के बरतन के ऐन बीच में ऊपर कर के रोटी और डबल रोटी वगैरा तोड़ने की आदत बनाइये, इस तरह रोटी के ज़र्रात या रोटी पर तिल हुए तो बरतन ही में गिरेंगे वरना दस्तर ख़्वान पर गिर कर ज़ाएँः हो सकते हैं 《20》 तीन उंगिलियों (या'नी बीच वाली, शहादत की और अंगूठे) से खाना खाइये कि येह سुन्नते अम्बिया ﷺ है। अगर चावल के दाने जुदा जुदा हों और तीन उंगिलियों से निवाला बनना मुम्किन न हो तो चार या पांच उंगिलियों से खा लीजिये 《21》 लुक्मा छोटा लीजिये और चपड़ चपड़ की आवाज़ पैदा न हो इस एहतियात के साथ इस क़दर चबाइये कि मुंह की ग़िज़ा पतली हो जाए, यूँ करने से हाज़िम लुआब (या'नी हाज़िमे दार थूक) भी अच्छी तरह शामिल हो जाएगा। अगर अच्छी तरह चबाए बिगैर निगल जाएँगे तो हज़्म करने के लिये मेंदे को तकलीफ़ करनी पड़ेगी और यूँ तरह तरह की बीमारियों का सामना हो सकता है लिहाज़ा दांत का काम आंत से मत लीजिये 《22》 हर दो एक लुक्मे के बा'द ”يَا إِعْجَزْ“ पढ़ने से पेट में नूर पैदा होता और बीमारी दूर होती है 《23》 फ़राग़त के बा'द पहले बीच की फिर शहादत की उंगली और आखिर में अंगूठा तीन तीन बार चाटिये। सरकारे मदीना ﷺ खाने के बा'द मुबारक उंगिलियों को तीन मरतबा चाटते। (133: 96، محدث: شاَكُلْ مُحَمَّدِي، ص)

(अगर तीन बार चाट लेने के बा'द भी उंगिलियों पर ग़िज़ा का असर बाक़ी रहे तो मज़ीद इतनी बार चाटिये कि ग़िज़ा का असर जाता रहे।) 《24》 बरतन भी चाट लीजिये। हृदीसे पाक में है : खाने के बा'द जो शख़्स बरतन चाटता है तो वोह बरतन उस के लिये दुआ करता है और कहता है : अल्लाह पाक तुझे

जहन्नम की आग से आज़ाद करे जिस तरह तू ने मुझे शैतान से आज़ाद किया । (2558: حديث، 347 / 1، بخاري) और एक रिवायत में है कि बरतन उस के लिये इस्तिफ़ार (या'नी मग़िफ़रत की दुआ) करता है । (3271: حديث، 14 / 4، ماجه)

﴿25﴾ हज़रते इमाम मुहम्मद बिन मुहम्मद ग़ज़ाली رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ رَحْمَةُ النَّبِيِّ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ اَعْلَمُ مَا يَرَى फ़रमाते हैं : जो (खाने के बा'द) पियाले (या रिकाबी) को चाटे और धो कर पी ले उसे एक गुलाम आज़ाद करने का सबाब मिलता है और गिरे हुए टुकड़े उठा कर खाना जन्नत की हूरों का महर है । (احياء العلوم، 2/8) **﴿26﴾** **फ़रमाने मुस्तफ़ा** ﷺ है : जो शख्स खाने के गिरे हुए टुकड़ों को उठा कर खाए वोह फ़राखी (या'नी कुशादगी) के साथ ज़िन्दगी गुज़ारता है और उस की औलाद में ख़ैरियत रहती है (احياء العلوم، 2/8) **﴿27﴾** खाने के बा'द दांतों का खिलाल कीजिये **﴿28﴾** खाने के बा'द अब्बल आखिर दुरूद शरीफ के साथ ये ह दुआ पढ़िये : تَرَجَّمَةً الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مُسْلِمِينَ “अल्लाह पाक का शुक्र है जिस ने हमें खिलाया, पिलाया और हमें मुसल्मान बनाया” **﴿29﴾** अगर किसी ने खिलाया हो तो ये ह दुआ भी पढ़िये : تَرَجَّمَةً الْحَمْدُ لِلَّهِ أَطْعَمْنَا مَنْ أَطْعَمَنَا وَأَشْقَى مَنْ سَقَانَا खिला जिस ने मुझे खिलाया और उस को पिला जिस ने मुझे पिलाया । (71: الحسن الحسيني، ص 30) **﴿30﴾** (احياء العلوم، 2/4-8) खाना खाने के बा'द सूरतुल झ़ख़्लास और सूरए कुरैश पढ़िये । **﴿31﴾** खाने के बा'द हाथ साबुन से अच्छी तरह धो कर पोंछ लीजिये **﴿32﴾** हज़रते इमाम मुहम्मद बिन मुहम्मद बिन मुहम्मद ग़ज़ाली رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ لिखते हैं : खाने के बा'द वुजू (या'नी पहुंचों तक दोनों हाथ धोना) जुनून (या'नी पागल पन) को दूर रखता है । (احياء العلوم، 2/4-8)

صَلُوٰا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ



“क़ट्टू रेहमी ह्राम है” के तेरह हुरूफ़ की निस्खत से सिलए रेहमी की 13 सुन्नतें और आदाब

﴿١﴾ فَرَمَّا نَبِيُّنَا لُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامُ ﴾ۚ ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسْأَءُ لَوْنَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ﴾

तरजमए कन्जुल ईमान : और अल्लाह से डरो, जिस के नाम पर मांगते हो और रिश्तों का लिहाज़ रखो ।

(بِ، النَّاسَ: 1)

इस आयते मुबारका के तहत “तफ्सीरे मज्हरी” में है : “या’नी तुम क़ट्टू रेहम (या’नी रिश्तेदारों से तअल्लुक़ तोड़ने) से बचो” (تفسیر مظہری، 2/7)

फ़रामीने मुस्तफ़ा ﴿2﴾ : ﴿صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ﴾ जो अल्लाह पाक और क़ियामत पर ईमान रखता है उसे चाहिये कि सिलए रेहमी करे । (بخاري، 4/136، حديث: 6138)

﴿3﴾ क़ियामत के दिन अल्लाह पाक के अर्श के साए में तीन किस्म के लोग होंगे, (उन में से एक है) सिलए रेहमी करने वाला (مندر الفروع، 1/99، حديث: 2526)

﴿4﴾ रिश्ता काटने वाला जन्त में नहीं जाएगा (بخاري، 4/97، حديث: 5984) (﴿5﴾ लोगों में से वोह शख्स सब से अच्छा है जो कसरत से कुरआने करीम की

तिलावत करे, ज़ियादा मुत्तकी हो, सब से ज़ियादा नेकी का हुक्म देने और बुराई से मन्यु करने वाला हो और सब से ज़ियादा सिलए रेहमी (या’नी रिश्तेदारों के साथ अच्छा बरताव) करने वाला हो (مندر امام احمد، 10/402، حديث: 27504)

﴿6﴾ बेशक अफ़ज़ल तरीन सदक़ा वोह है जो दुश्मनी छुपाने वाले रिश्तेदार पर किया जाए (مندر امام احمد، 9/138، حديث: 23589)

﴿7﴾ जिस क़ौम में क़ातेए रेहम (या’नी रिश्तेदारी तोड़ने वाला) हो, उस (क़ौम) पर अल्लाह पाक की रहमत का नुजूल नहीं होता (بخاري، 2/153)

﴿8﴾ जिसे येह पसन्द हो कि उस के लिये (जन्त में) महल बनाया जाए और उस के दरजात बुलन्द किये जाएं, उसे चाहिये कि जो उस पर जुल्म करे येह उसे मुआफ़ करे और जो उसे महरूम करे येह उसे अ़ता करे और

जो उस से क़त्तू तअल्लुक करे येह उस से नाता (या'नी तअल्लुक) जोड़े
द्वंद्वी^{عَنْهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ} (3215) (مेर्दरक، 3/12، حديث: 9) हज़रते फ़क़ीह अबुल्लैस समर क़न्दी
फ़रमाते हैं, सिलए रेहूमी (या'नी रिश्तेदारों से अच्छा सुलूक) करने के 10
फ़ाएदे हैं : अल्लाह करीम की रिज़ा हासिल होती है, लोगों की खुशी का
सबब है, फ़िरिश्तों को मसर्रत होती है, मुसल्मानों की तरफ से उस शख्स की
ता'रीफ़ होती है, शैतान को इस से रन्ज पहुंचता है, उप्र बढ़ती है, रिज़क में
बरकत होती है, फ़ौत हो जाने वाले आबाओ अज्दाद (या'नी मुसल्मान बाप
दादा) खुश होते हैं, आपस में महब्बत बढ़ती है, वफ़ात के बाद उस के
सवाब में इज़ाफ़ा हो जाता है, क्यूं कि लोग उस के हक़ में दुआए खैर करते
हैं (تَبَرِّيَ الْأَفَلَقِينَ، 73) 10 “बहारे शारीअ़त” जिल्द 3 सफ़हा 558 ता
560 पर है : सिलए रेहूम के मा'ना रिश्ते को जोड़ना है या'नी रिश्ते
वालों के साथ नेकी और सुलूक करना । सारी उम्मत का इस पर इत्तिफ़ाक़
है कि सिलए रेहूम “वाजिब” है और क़त्तू रेहूम (या'नी रिश्ता तोड़ना)
“हराम” है । जिन रिश्ते वालों के साथ सिलए रेहूम वाजिब है वोह कौन
है ? बा'ज़ उल्मा ने फ़रमाया : वोह ज़ू रेहूम महरम हैं और बा'ज़ ने
फ़रमाया : इस से मुराद ज़ू रेहूम हैं, महरम हों या न हों । और ज़ाहिर येही
कौले दुवुम (या'नी दूसरा कौल) है, अहादीस में मुल्लक़न (या'नी बिगैर
किसी कैद के) रिश्ते वालों के साथ सिला (या'नी सुलूक) करने का हुक्म
आता है, कुरआने मजीद में मुल्लक़न (या'नी बिला कैद) ज़विल कुर्बा
(या'नी रिश्तेदार) फ़रमाया गया मगर येह बात ज़रूर है कि रिश्ते में चूंकि
मुख्तलिफ़ दरजात हैं (इसी तरह) सिलए रेहूम (या'नी रिश्तेदारों से हुस्ने
सुलूक) के दरजात में भी तफ़ावुत (या'नी फ़र्क़) होता है । वालिदैन का मर्तबा

सब से बढ़ कर है, इन के बा'द ज़ू रेहूम महरम का, (या'नी वोह रिश्तेदार जिन से नस्ली रिश्ता होने की वज्ह से निकाह हमेशा के लिये हराम हो) इन के बा'द बक़िय्या रिश्ते वालों का अ़्ला क़दरे मरातिब । (या'नी रिश्ते में नज़्दीकी की तरतीब के मुताबिक़) (678/٩، رواية 11) **सिलए रेहूमी** (या'नी रिश्तेदारों के साथ सुलूक) की मुख़्तलिफ़ सूरतें हैं, इन को हदिय्या व तोहफ़ा (या'नी GIFT) देना और अगर इन को किसी बात में तुम्हारी इआनत (या'नी इमदाद) दरकार हो तो इस काम में इन की मदद करना, इन्हें सलाम करना, इन की मुलाक़ात को जाना, इन के पास उठना बैठना, इन से बातचीत करना, इन के साथ लुत्फ़ो मेहरबानी से पेश आना (323/١، رواية 12) अगर येह शख़्स परदेस में है तो रिश्ते वालों के पास ख़त् भेजा करे, इन से ख़तो किताबत जारी रखे ताकि बे तअल्लुक़ी पैदा न होने पाए और हो सके तो वतन आए और रिश्तेदारों से तअल्लुक़ात ताज़ा कर ले, इस तरह करने से महब्बत में इज़ाफ़ा होगा । (678/٩، رواية 13) (फ़ोन या इन्टरनेट के ज़रीए भी राबिते की तरकीब मुफ़ीद है) **सिलए रेहूमी** (रिश्तेदारों के साथ अच्छा सुलूक) इसी का नाम नहीं कि वोह सुलूक करे तो तुम भी करो, येह चीज़ तो हक़ीक़त में मुकाफ़ात या'नी अदला बदला करना है कि उस ने तुम्हारे पास चीज़ भेज दी तुम ने उस के पास भेज दी, वोह तुम्हारे यहां आया तुम उस के पास चले गए । हक़ीक़तन **सिलए रेहूम** (या'नी आ'ला दरजे का सिलए रेहूम) येह है कि वोह काटे और तुम जोड़ो, वोह तुम से जुदा होना चाहता है, बे ए'तेनाई (या'नी बे परवाई) करता है और तुम उस के साथ रिश्ते के हुकूक़ की मुराअ़त (या'नी लिहाज़ व रिआयत) करो । (روایت ٩، ٦٧٨)

صَلُوْا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ



“राहे मदीना का मुसाफिर” के पन्द्रह हुरूफ़ की निस्बत से पड़ोसी के बारे में 15 सुन्नतें और आदाब

8 फ़रामीने मुस्तफ़ा : ﷺ (1) अल्लाह पाक नेक मुसल्मान की वज्ह से उस के पड़ोस के 100 घरों से बला दूर फ़रमा देता है। फिर आप ने ये हायते मुबारका तिलावत फ़रमाई : ﴿وَلَوْلَا دُعِيَ اللَّهُ إِلَيْهِ بِعَصْمَهُ بِعَيْنِ لَفْسَدِتِ الْأَرْضِ﴾ (ب, 2, البقرة: 251) **(2)** अल्लाह पाक के नज़्दीक बेहतरीन पड़ोसी वो है जो अपने पड़ोसी का खैर ख्वाह हो (1951, 379/3, حديث: ترمذى) **(3)** वो है जन्नत में नहीं जाएगा, जिस का पड़ोसी उस की आफ़तों से अम्न में नहीं है (46: 43, حديث: مسلم, ص) **(4)** वो है मोमिन नहीं जो खुद पेट भर खाए और उस का पड़ोसी उस के पहलू में भूका रहे (3389: 225/3, حديث: شعب الانباب, 13: 241) **(5)** जिस ने अपने पड़ोसी को ईज़ा दी उस ने मुझे ईज़ा दी और जिस ने मुझे ईज़ा दी उस ने अल्लाह पाक को ईज़ा दी (13: 3, حديث: اتر غريب واتribib, 3: 241) **(6)** जिब्रील (عليه السلام) मुझे पड़ोसी के मुतअल्लिक बराबर वसिय्यत करते रहे, यहां तक कि मुझे गुमान (या'नी ख़्याल) हुवा कि पड़ोसी को वारिस बना देंगे (6014: 104/4, حديث: جباري) **(7)** जो शख्स अल्लाह और यौमे आखिरत पर ईमान रखता है, उसे चाहिये कि वो ह अपने पड़ोसी के साथ हुस्ने सुलूक से पेश आए। (مراسيل أبي داود, ص 44, حديث: 48) **(8)** चालीस घर पड़ोसी हैं। (16: 16, حديث: مسلم, ص 16) हज़रते इमाम ज़ोहरी رحمۃ اللہ علیہ फ़रमाते हैं : इस से चारों तरफ़ चालीस घर मुराद हैं। (مراسيل أبي داود, ص 16) “नुज़हतुल क़ारी” में है : पड़ोसी

कौन है इस को हर शख्स अपने उर्फ़ और मुआमले से समझता है। (नुज्हतुल कारी, 5/568) **(9)** हज़रते इमाम मुहम्मद बिन मुहम्मद बिन मुहम्मद ग़ज़ाली رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ فَرَمَّا تَهْبِي : पड़ोसी के हुकूक में से येह भी है कि उसे सलाम करने में पहल करे, उस से तवील गुफ्तगू न करे, उस के हालात के बारे में ज़ियादा पूछगछ न करे, वोह बीमार हो तो उस की मिज़ाज पुर्सी करे, मुसीबत के वक्त उस की ग़म ख़बारी करे और उस का साथ दे, खुशी के मौक़अ़ पर उसे मुबारक बाद दे और उस के साथ खुशी में शिर्कत ज़ाहिर करे, उस की लागिज़शों से दर गुज़र करे, छत से उस के घर में न झांके, उस के घर का रास्ता तंग न करे, वोह अपने घर में जो कुछ ले जा रहा है उसे देखने की कोशिश न करे, उस के ऐबों पर पर्दा डाले, अगर वोह किसी हादिसे या तक्लीफ़ का शिकार हो तो फ़ौरी तौर पर उस की मदद करे, जब वोह घर में मौजूद न हो तो उस के घर की हिफ़ाज़त से ग़फ़्लत न बरते, उस के ख़िलाफ़ कोई बात न सुने और उस के अहले ख़ाना से निगाहों को पस्त (या'नी नीची) रखे, उस के बच्चों से नर्म गुफ्तगू करे, उसे जिन दीनी या दुन्यवी उम्र का इल्म न हो उन के बारे में उस की रहनुमाई करे। (احياء العلوم، 2/266-267) **(10)**

हिकायत : हज़रते अब्दुल्लाह बिन मस्�उद्द रَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ فَرَمَّا : की ख़िदमत में एक शख्स ने अर्ज़ की : मेरा पड़ोसी मुझे अज़िय्यत पहुंचाता है, मुझे गालियां देता है और मुझ पर सख्ती करता है। **फ़रमाया :** अगर उस ने तुम्हारे बारे में अल्लाह पाक की इत्ताअ़त करो (احياء العلوم، 2/266-267) **(11)** **हिकायत :** एक बुजुर्ग के घर में चूहों की कसरत थी किसी ने अर्ज़ की : हज़रत ! अगर आप बिल्ली रख लें तो अच्छा है। **फ़रमाया :** मुझे डर है कि चूहा बिल्ली की आवाज़

सुन कर पड़ोसी के घर में चला जाए इस तरह मैं उस के लिये वोह बात पसन्द करने वाला हो जाऊंगा जिसे मैं खुद अपने लिये पसन्द नहीं करता । (احياء العلوم، 2/266-267) **(12)** मन्कूल है : फ़कीर पड़ोसी क़ियामत के दिन मालदार पड़ोसी का दामन पकड़ कर कहेगा : ऐ मेरे रब ! इस से पूछ, इस ने मुझे अपने हुस्ने सुलूक से क्यूँ महरूम किया और मुझ पर अपना दरवाज़ा क्यूँ बन्द किया ? (احياء العلوم، 2/266-267) **(13)** एक शख्स ने अ़र्ज़ की : या رَسُولُ اللّٰهِ ! فुलानी औरत के मुतअ़्लिलक़ ज़िक्र किया जाता है कि नमाज़ व रोज़ा व सदक़ा कसरत से करती है मगर येह बात भी है कि वोह अपने पड़ोसियों को ज़बान से तक्लीफ़ पहुंचाती है, ﷺ ! फ़रमाया : वोह जहन्नम में है । उन्हों ने अ़र्ज़ की : या رَسُولُ اللّٰهِ ! فुलानी औरत की निस्बत ज़ियादा ज़िक्र किया जाता है कि उस के (नफ़्ल) रोज़ा व सदक़ा व नमाज़ में कमी है, वोह पनीर (CHEESE) के टुकड़े सदक़ा करती है और अपनी ज़बान से पड़ोसियों को ईज़ा नहीं देती, फ़रमाया : वोह जन्त में है । (منrawlام، 3/441، حديث: 9681) **(14)** फ़रमाने मुस्तफ़ा : پड़ोसी तीन क़िस्म के हैं : बा'ज़ के तीन हक़ हैं बा'ज़ के दो और बा'ज़ का एक हक़ है, जो पड़ोसी मुस्लिम और रिश्तेदार हो, उस के तीन हक़ हैं : पड़ोस का हक़ और हक़क़े इस्लाम और रिश्तेदारी का हक़, पड़ोसी मुस्लिम के दो हक़ हैं : पड़ोस का हक़ और हक़क़े इस्लाम और पड़ोसी काफ़िर का सिर्फ़ एक, पड़ोस का हक़ है (شعب الایمان، 7/83، حديث: 9560) **(15)** हिकायत : हज़रते बा यज़ीद बिस्तामी رحمهُ اللّٰهُ علَيْهِ का यहूदी पड़ोसी सफ़र में गया, उस के बाल बच्चे घर में रह गए, रात को यहूदी का बच्चा रोता था । आप رحمهُ اللّٰهُ علَيْهِ مैं घबराता है ? यहूदन बोली : घर में चराग़ नहीं है, बच्चा अंधेरे में घबराता है । उस दिन से आप रोज़ाना चराग़ में ख़ूब तेल भर कर रोशन

कर के यहूदी के घर भेज दिया करते थे, जब यहूदी लौटा तो उस की बीवी ने येह वाकिअ़ा सुनाया । यहूदी बोला : जिस घर में बा यज़ीद का चराग़ आ गया वहां (कुफ़्र का) अंधेरा क्यूँ रहे ! वोह सब मुसल्मान हो गए । (मिरआतुल मनाजीह, 6/573)

मेहमान नवाज़ी की 30 सुन्नतें और आदाब

आठ फ़रामीने मुस्तफ़ा : ﷺ “**(1)** ”जो अल्लाह पाक और क़ियामत पर ईमान रखता है उसे चाहिये कि मेहमान का एहतिराम करे ।” (6018، حدیث: 4/105) **मुफ़स्सिरे कुरआन** हज़रते मुफ़्ती अहमद यार खान इस हडीसे पाक के तहूत फ़रमाते हैं : मेहमान का एहतिराम ये है कि उस से ख़न्दा पेशानी (या’नी मुस्कुरा कर अच्छी तरह) से मिले, उस के लिये खाने और दूसरी ख़िदमात का इन्तिज़ाम करे हत्तल इम्कान अपने हाथ से उस की ख़िदमत करे । (मिरआतुल मनाजीह, 6/52) **(2)** जो अल्लाह पाक और क़ियामत पर ईमान रखता है उसे चाहिये कि मेहमान को ईज़ा न दे । (13: 25، حدیث: مُعَاوِيَة رضي الله عنه) **(3)** जब कोई मेहमान किसी के यहां आता है तो अपना रिज़क ले कर आता है और जब उस के यहां से जाता है तो साहिबे ख़ाना (या’नी घर वाले) के गुनाह बरख़ो जाने का सबब होता है । (25831، حدیث: 9/107) **(4)** जिस ने नमाज़ क़ाइम की, ज़कात अदा की, हज अदा किया, रमज़ान के रोजे रखे और मेहमान की मेहमान नवाज़ी की, वोह जन्नत में दाखिल होगा । (12692، حدیث: 12/106) **(5)** जो शख़्स (बा वुजूदे कुदरत) मेहमान नवाज़ी नहीं करता उस में भलाई नहीं । (17424، حدیث: 6/142) **(6)** आदमी की कम अ़क्ली है कि वोह अपने मेहमान से ख़िदमत ले । (4686، حدیث: مُعَاوِيَة رضي الله عنه) **(7)** सुन्नत येह है कि आदमी मेहमान को दरवाजे तक रुख़सत करने जाए । (3358، حدیث: مُعَاوِيَة رضي الله عنه) **(8)** जिस घर में खाया जाए उस में खैरो बरकत

जियादा तेजी से आती है व मुकाबला छुरी के जो ऊंट के कोहान तक जाए। (3357، حديث: 51، ماج، 4) **शर्ह हव्वीस :** या'नी जिस घर में मेहमान, ज़ाइरीन, मुलाक़ाती लोग खाना खाते रहें वहां बरकत रहती है, वरना खुद घर वाले तो हर घर में ही खाते हैं। ऊंट की कोहान में हड्डी नहीं होती चरबी ही होती है उसे छुरी बहुत ही जल्द काटती है और उस की तह तक पहुंच जाती है इस लिये इस से तशबीह दी गई। या'नी ऐसे घर में खैरो बरकत बहुत जल्दी पहुंचती है। (मिरआतुल मनाजीह, 6/67) **﴿9﴾** **हज़रते बीबी ख़दीजा رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا** फ़रमाती हैं : “आप ﷺ तो रिश्तेदारों के साथ बेहतरीन सुलूک करते हैं, मुसाफिरों की मेहमान नवाज़ी करते हैं और हक़ व इन्साफ़ की खातिर सब की मुसीबतों और मुश्किलात में काम आते हैं” (सीरत मुस्तफ़ा, स. 109, मुलख़्बसन) **﴿10﴾** एक शख्स ने अर्ज़ की : या रसूलल्लाह ! مَلِئَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْهُوَ سَلَّمَ मैं एक शख्स के यहां गया, उस ने मेरी मेहमानी नहीं की, अब वोह मेरे यहां आए तो क्या मैं उस से बदला लूँ ? इर्शाद फ़रमाया : नहीं बल्कि तुम उस की मेहमानी करो। (ترنی, 405/3، حديث: 3، بخاری، 7/1) **﴿11﴾** **हज़रते अ़त़ा رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ** फ़रमाते हैं : हज़रते इब्राहीम ख़लीलुल्लाह का जब खाना खाने का वक़्त आता और कोई साथ खाने वाला न होता तो एक या दो दो मील तक उस की तलाश में निकल जाते थे कि कोई साथ खाने वाला मिल जाए। (تَبَيِّنُ الْغَافِلِينَ، ص 249) **﴿12﴾** **हज़रते इक्रिमا رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ** फ़रमाते हैं : हज़रते इब्राहीम ख़लीलुल्लाह का लक़ब “अबुद्वैफ़ान” (या'नी बड़ा मेहमान नवाज़) मशहूर था, उन के मकान के चार दरवाज़े थे और वोह देखते रहते थे कि किस दरवाज़े से कोई आने वाला आता है। (تَبَيِّنُ الْغَافِلِينَ، ص 249) **﴿13﴾** **ख़ादिमुन्नबी رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ** फ़रमाते हैं : “जिस घर में मेहमान नहीं आता उस में रहमत के

फिरिश्ते नहीं आते” (एहयाउल ड्लूम, (उर्दू), 2/43, 16/2) (احیاء العلوم، 14)

मुफ़्ती अहमद यार खान رضي اللہ عنہ فرمाते हैं : हमारा मेहमान वोह है जो हम से मुलाक़ात के लिये बाहर (या’नी दूसरे शहर या मुल्क) से आए ख़बाह उस से हमारी वाक़िफ़ियत पहले से हो या न हो, जो हमारे लिये अपने ही महल्ले या अपने शहर में से हम से मिलने आए दो चार मिनट के लिये वोह मुलाक़ाती है मेहमान नहीं । उस की ख़तिर (मसलन अच्छी तरह मिलना, चाय पानी करना हो) तो करो मगर उस की दा’वत नहीं है और जो ना वाक़िफ़ शख़्स अपने काम के लिये हमारे पास आए वोह मेहमान नहीं जैसे हाकिम या मुफ़्ती के पास मुक़द्दमे वाले या फ़तवा (लेने) वाले आते हैं येह हाकिम (या मुफ़्ती) के मेहमान नहीं । (मिरआतुल मनाजीह, 6/54) (15) मेहमान को चाहिये कि अपने मेज़बान की मसरूफ़िय्यात और ज़िम्मेदारियों का लिहाज़ रखे (16) बहारे शरीअत जिल्द 3 सफ़हा 391 पर हडीस नम्बर 14 है : “जो शख़्स अल्लाह (पाक) और क़ियामत के दिन पर ईमान रखता है, वोह मेहमान का इक्राम करे, एक दिन रात उस का जाएज़ा है (या’नी एक दिन उस की पूरी ख़तिर दारी (या’नी आव भगत) करे, अपने मक़दूर भर (या’नी जहां तक मुम्किन हो) उस के लिये तकल्लुफ़ का (या’नी एहतिमाम के साथ) खाना तय्यार कराए) और ज़ियाफ़त तीन दिन है (या’नी एक दिन के बा’द तकल्लुफ़ न करे बल्कि जो हाजिर हो वोही पेश कर दे) और तीन दिन के बा’द सदक़ा है, मेहमान के लिये येह हलाल नहीं कि उस के यहां ठहरा रहे कि उसे (या’नी मेज़बान को) हरज में डाल दे” (6135، حدیث: 136/4، میرج़ان)

(17) जब आप किसी के पास बतौरे मेहमान जाएं तो मुनासिब है कि अच्छी अच्छी नियतों के साथ हस्बे हैसिय्यत मेज़बान या उस के बच्चों के लिये तोहफ़े लेते जाएं (18) हज़रते अल्लामा मौलाना मुफ़्ती मुहम्मद अमजद अली आज़मी

رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَرَمَّا تَوَهْمَهُ : مَهْمَانُ كَوْنَارَ بَاتِنَ جُرْرَى هُنْ : (1) جَاهَنْ بِيَتَأْيَا^{رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ} जाए वहीं बैठे (2) जो कुछ उस के सामने पेश किया जाए उस पर खुश हो, येह न हो कि कहने लगे : इस से अच्छा तो मैं अपने ही घर खाया करता हूँ या इसी किस्म के दूसरे अल्फाज़ (3) बिगैर इजाज़ते साहिबे खाना (या'नी मेज़बान से इजाज़त लिये बिगैर) वहां से न उठे और (4) जब वहां से जाए तो उस के लिये दुआ करे (बहारे शरीअत, 3/349, 344/5, (نَوْيِيْنَدِيْرَ) (19) घर या खाने वगैरा के मुआमले में मेहमान किसी किस्म की तन्कीद करे न झूटी ता'रीफ़ (20) मेज़बान भी मेहमान को झूट के ख़तरे में डालने वाले सुवालात न करे मसलन कहना कि हमारा घर कैसा लगा ? या कहा : हमारा खाना आप को पसन्द आया या नहीं ? ऐसे मौक़अ़ पर अगर पसन्द न होने के बा वुजूद मेहमान मुरव्वत में घर या खाने की झूटी ता'रीफ़ करेगा तो गुनाहगार होगा (21) मेज़बान इस तरह का सुवाल भी न करे कि “आप ने पेट भर कर खाया या नहीं ?” कि यहां भी जवाबन झूट का अन्देशा है कि कम खाने की आदत या परहेज़ी या किसी भी वज्ह से कम खाने के बा वुजूद इसरारो तक्कार से बचने के लिये मेहमान को झूटमूट कहना पड़ जाए कि “मैं ने ख़ूब डट कर खाया है” (22) बा'ज़ अवक़ात खाने के मौक़अ़ पर मेहमान पर एक शख़्स मुक़र्रर कर दिया जाता है जो अपने हाथ से मेहमान की प्लेट में खाना या सालन, बोटी वगैरा डालता रहता है, मेहमान को इस से परेशानी हो सकती है, मसलन वोह बोटी खाने से बचना चाहता है और मेज़बान का आदमी बोटियां डाले जा रहा है (23) मेज़बान को चाहिये कि मेहमान से वक़तन फ़ वक़तन कहे कि “और खाओ” मगर इस पर इसरार न करे, कि कहीं इसरार की वज्ह से ज़ियादा न खा जाए और येह उस के लिये नुक़सान देह हो (344/5, (نَوْيِيْنَدِيْرَ) (24) हज़रते इमाम अबू

हामिद मुहम्मद बिन मुहम्मद ग़ज़ाली رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ ف़رَمَاتे हैं : साथी कम खाता हो तो रग्बत दिलाते हुए उस से कहे : खाइये ! लेकिन तीन बार से ज़ियादा न कहा जाए क्यूं कि ये “इसरार” करना और हृद से बढ़ना हुवा (٩/٢، أحياء العلوم، 25) मेज़बान को बिल्कुल ख़ामोश न रहना चाहिये और ये ही न करना चाहिये कि खाना रख कर ग़ाइब हो जाए बल्कि वहाँ हाजिर रहे (٣٤٥/٥، فتاوى بندرية، 26) मेहमानों के सामने ख़ादिम वगैरा पर नाराज़ न हो (٣٤٥/٥، فتاوى بندرية، 27) मेज़बान को चाहिये कि मेहमान की ख़ातिर दारी में खुद मश्गूल हो, ख़ादिमों के ज़िम्मे उस को न छोड़े कि ये ह (या’नी मेहमान की आव भगत) हज़रते इब्राहीम ख़लीलुल्लाह عَنْ يَدِ إِبْرَاهِيمَ की सुन्नत है, (٣٤٥/٥، فتاوى بندرية، 28) बहारे शरीअ़त, 3/394) जो शख्स अपने (मुसल्मान) भाइयों के साथ खाता है उस से (कियामत में उस खाने का) हिसाब न होगा । (٣٠٦/٢، وقت القلوب، 28) हज़रते इमाम अबू हामिद मुहम्मद बिन मुहम्मद बिन मुहम्मद ग़ज़ाली رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ फ़रमाते हैं : जो शख्स कम खूराक हो जब वोह लोगों के साथ खाए तो कुछ देर बा’द खाना शुरूअ़ करे और छोटे लुक़मे उठाए और आहिस्ता आहिस्ता खाए ताकि आखिर तक दूसरे लोगों का साथ दे सके (٤٢٥٤، مرفقات، تجتَّعُ الْمُسْلِمُونَ، 84/8) अगर किसी ने इस लिये जल्दी से हाथ रोक लिया ताकि लोगों के दिलों में मकाम पैदा हो और इस को भूक से कम खाने वाला तसव्वुर करें तो रियाकार और अज़ाबे नार का हक़्कदार है (٣٠) अगर भूक से कुछ ज़ियादा इस लिये खा लिया कि मेहमान के साथ खा रहा है और मा’लूम है कि ये हाथ रोक देगा तो मेहमान शरमा जाएगा और सेर हो कर न खाएगा तो इस सूरत में भी कुछ ज़ियादा खा लेने की इजाज़त है जब कि इतनी ही ज़ियादती हो जिस से मे’दा ख़राब होने का ख़तरा न हो । (دریتر، 6، 561)

صَلُوٰا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ



अगले हफ्ते का रिसाला

